प्रपत्र : 1 कुल पृष्ठ – 6

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला.चौकी ,एसीबी, अजमेर ..... थाना.सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष ... 2022.....
प्र. इ. रि. स. .....160/22..... दिनांक .....3/5/2022.....
2. (अ) अधिनियम ... भ्र0 नि0 अधिनियम 1988 .....धारायें...7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 .....
(ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें. ....
(स) अधिनियम .....धारायें.....
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....49.....समय.....2.00 P.M.....
(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 02.05.2022.... समय 07.40 पी.एम. .....
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 27.04.2022 समय.....03.30 पीएम.....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा 75 किमी .....
(ब) पता – पुलिस चौकी बाबरा, जिला पाली बीट सख्या ..... जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना.....जिला.....
6 परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम.... श्री जयशंकर सैन.....
(ब) पिता का नाम श्री सोहन लाल .....
(स) जन्म तिथि /वर्ष 30 साल.....
(द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....
(य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....
जारी होने की जगह.....
(र) व्यवसाय..... .....प्राईवेट .....
(ल) पता ... गांव हरियाढाणा, पुलिस थाना बौरूंदा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर हाल निवासी म.नं. 388, नई कॉलोनी बाबरा, तहसील रायपुर जिला पाली.....
7 ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
श्री भागचंद पुत्र श्री भंवर लाल जाति ब्राह्मण उम्र 51 साल निवासी सोजत रोड़, बगड़ी रोड़, पुलिस थाना सोजत रोड़ जिला पाली हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, प्रभारी पुलिस चौकी बाबरा, पुलिस थाना रास, जिला पाली।

8 परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
.....40,000रू0 रिश्वत राशि.....

10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....
.....40,000/– –रू0 रिश्वत राशि .....

11 विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....
सेवामें श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर विषयः– रिश्वत लेते हुये पडकवाने बाबत। प्रार्थी :– जयशंकर पुत्र श्री सोहन लाल निवासी गांव हरियाढाणा, पुलिस थाना बौरूंदा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर हाल निवासी म.नं. 388, नई कॉलोनी बाबरा, तहसील रायपुर जिला पाली। मान्यवर, निवेदन है कि मुझ प्रार्थी के मित्र मुकेश रावत व उसके दो भाईयो के नाम पर गांव मोहरा पुलिस थाना रास में दो–तीन बीघा जमीन हैं, जिसमें बजरी हैं। इस एरिये में आस–पास के खतो से भी बजरी निकलती है, जहां से कई डम्पर, ट्रेक्टर बजरी भर कर निकलते हैं। मेरे दोस्त ने उक्त जमीन में बजरी निकालने का कारोबार करने के लिए मेरे से बात की तो मैने उसे हॉ कर दी । मेरे दोस्त ने मुझे इस कार्य हेतु मौखिक रूप से अधिकृत किया कि अपने खेत से बजरी भरवा दिया कर और डम्पर वालो से तुम रूपये ले लिया कर मेरे को प्रति डम्पर 1500 रूपये दे दिया करो। आस–पास के खेतो से बजरी भरने आने वाले डम्पर चालको से मैने मेरे दोस्त के खेत से बजरी भरवाने की बात की तो उन्होने कहा कि हम आपके खेत से बजरी तभी खरीदेंगे, जब आप पुलिस वालो से बात कर लोगे और पुलिस हमारे डम्पर को नही पकड़ने का आश्वासन देगी तब ही आपके खेत से बजरी भरेंगे। अन्य खेत वाले भी जो बजरी भरवाते है उन्होने भी पुलिस वालो से बात कर रखी है आप भी पुलिस चौकी बाबरा जाकर बात कर लो। मैं पुलिस चौकी बाबरा, पुलिस थाना रास पर जाकर चौकी इन्चार्ज श्री भागचंद एएसआई से मिला तो उसने मुझे कहा कि यदि तुम्हें बजरी का कारोबार करना है तो जैसे दुसरे लोग सिस्टम अपना रहे है वैसे तुम

भी हर महिने कर दिया करो। इस पर मैने पूछा कि क्या सिस्टम हैं तो उन्होने कहा कि हर महिने एडवान्स 50,000 रूपये चौकी की मंथली दे दिया करो फिर मेरी चौकी से कोई भी पुलिस कर्मी तुम्हारे खेत से भरने वाले डम्परो को नही रूकवायेगा। मैं श्री भागचंद एएसआई को रिश्वत नही देना चाहता हूँ कार्यवाही करावें। दिनांक : 27.04.2022 ***प्रार्थी, (जयशंकर), मो.नं. 9783633167***

—:: कार्यवाही पुलिस पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर ::—

दिनांकः— 27.04.2022 **समयः— 03.30 पी.एम.**

उपरोक्त टाईप शुदा रिपोर्ट परिवादी श्री जयशंकर पुत्र श्री सोहन लाल उम्र 30 साल जाति नाई निवासी गांव हरियाढाणा, पुलिस थाना बौरूंदा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर हाल निवासी म.नं. 388, नई कॉलोनी बाबरा, तहसील रायपुर जिला पाली द्वारा उपस्थित कार्यालय होकर श्रीमती मीरा बेनीवाल, निरीक्षक पुलिस के समक्ष प्रस्तुत की। प्रस्तुत शुदा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं परिवादी को उक्त प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया तो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना बताया। परिवादी से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध मे दरियाफ्त कि तो परिवादी ने बताया कि " मैं व मेरा दोस्त के खेत में बजरी होने से बजरी का व्यवसाय प्रारम्भ करना चाह रहे है क्योकि आस पास के इलाके में भी बजरी निकलती है तथा कई डम्पर ट्रेक्टर बजरी भरकर ब्यावर एवं आस पास के गावों में बजरी सप्लाई करते है। मैने डम्पर एवं ट्रेक्टर के चालको को मेरे दोस्त मुकेश रावत के खेत में से बजरी भरने के लिए कहा तो उन्होने कहा कि पहले पुलिस वालो से बात करो वो हा कर देंगे तो ही हम आपके खेत से बजरी खरीदकर भरेंगे। मैने पुलिस चौकी बाबरा इन्चार्ज भागचंद एएसआई से बात की तो उन्होने मेरे दोस्त के खेत से डम्पर एवं ट्रेक्टरों में बजरी भरवाने का व्यवसाय करने देने की एवज में 50000 रूपये मासिक मन्थली की मांग की। मै श्री भागचंद एएसआई को रिश्वत नही देना चाहता हू बल्कि उसे रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। " रिपोर्ट के सम्बन्ध मे पूछने पर अपने मिलने वाले से कम्प्यूटर पर टाईप करवाना तथा उस पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया। पूछने पर श्री भागचंद एएसआई से किसी भी प्रकार का उधार लेनदेन व रंजिश होने से इंकार किया। प्रस्तुत प्रार्थना एवं दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का पाया जाने पर श्री शिव सिंह कानि नम्बर 547 को निरीक्षक पुलिस ने अपने कक्ष में तलब कर उपस्थित परिवादी श्री जयशंकर सेन से आपस में परिचय करवाया। कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर निकलवाकर परिवादी को ऑपरेट करना समझाया गया तथा परिवादी एवं कानि0 श्री शिव सिंह को आवश्यक हिदायत दी गई तथा श्री शिव सिंह कानि नम्बर 547 एवं परिवादी श्री जयशंकर सैन मय वॉयस रिकॉर्डर के परिवादी के निजी वाहन से वास्ते रिश्वत राशि मांग सत्यापन रवाना बजानिब पुलिस चौकी बाबरा पुलिस थाना रास जिला पाली रवाना किया। श्री शिव सिंह कानि. ने जरिये दुरभाष बताया कि परिवादी श्री जयशंकर की आरोपी श्री भागचंद एएसआई से पुलिस चौकी बाबरा मे वार्ता हो गई है। आरोपी ने परिवादी से 40 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग करना बताया है। शिव सिंह कानि के मोबाईल से परिवादी से वार्ता की गई तो परिवादी ने बताया कि एएसआई साहब भागचंद जी ने 40 हजार रूपये मांगे है तथा अभी लेकर आने के लिए कहा है। मैने व्यवस्था करके सुबह देने के लिए कहा है। इस पर परिवादी को वॉयस रिकॉर्डर श्री शिव सिंह कानि. को सुपुर्द करने एवं रिश्वत में दी जाने वाली राशि 40 हजार रूपये लेकर दिनांक 28.04.22 को सुबह 7.00 एएम पर कार्यालय मे उपस्थित आने के लिए पाबन्द किया। शिव सिंह कानि. को वॉयस रिकॉर्डर लेकर कार्यालय में आने हेतु बताया। श्री शिव सिंह कानि उपस्थित कार्यालय आया तथा निरीक्षक पुलिस ने वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सुना तो रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन होना पाया गया। वॉयस रिकॉर्डर को निरीक्षक पुलिस ने अपनी आलमारी में सुरक्षित रखा।

दिनांक 28.04.22 को परिवादी श्री जयशंकर सैन एवं पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह श्री सुभाष चन्द्र कनिष्ठ सहायक एवं श्री करण यादव कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर उपस्थित कार्यालय आये जिन्हे निरीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर परिवादी से दोनो गवाहान का आपस में परिचय करवाया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनो गवाहान को पढकर सुनाया तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है के मुख्य मुख्य अंश सुनाये जाकर दोनो गवाहान से की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति प्राप्त की गई। **समय 7.30 एएम पर** रूबरू गवाहान बमौजूदगी परिवादी रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर फर्द

ट्रांसक्रिप्ट शब्द–ब–शब्द सुन सुन कर तैयार करवाई गई। उक्त वार्ता की कम्प्युटर की सहायता से दो डीवीडी तैयार कर अलग–अलग कागज के लिफाफो में रखी गई तथा मूल मैमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थैली में सिल्ड कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। **समय 8.45 एएम** पर परिवादी श्री जयशंकर सैन को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर परिवादी ने रूबरू गवाहान अपने पास से 2000–2000 रूपये के 4 नोट एवं 500–500 रूपये के 64 नोट कुल 40000 रूपये प्रस्तुत किये, जिनके नम्बर फर्द में अंकित किये गये। उक्त नोटों पर श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर नोटो के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी जेब मे कुछ भी शेष नही छोडते हुये रखवाये गये। परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया प्रदर्शित कर एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तैयार की जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री जयशंकर, श्री शिव सिंह कानि0 मय वॉयस रिकार्डर के परिवादी के प्राईवेट वाहन से निरीक्षक पुलिस मय श्री त्रिलोक सिंह कानि0, श्री ईशाक कानि0, स्वतन्त्र गवाह श्री करण यादव एवं श्री सुभाष चन्द्र के प्राईवेट इनोवा कार मय लेपटॉप, प्रिंटर, ट्रेप बॉक्स के एवं श्री प्रभुलाल कुमावत उप अधीक्षक पुलिस मय श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0 एवं श्री युवराज सिंह प्राईवेट वाहन से एसीबी चौकी अजमेर से रवाना होकर बाबरा पहुँचे तथा आरोपी श्री भागचंद एएसआई की पुलिस चौकी बाबरा पर उपस्थिति के संबंध में मालुमात की तो ज्ञात हुआ कि आरोपी श्री भागचंद एएसआई अभी चौकी पर नही है तथा जेतारण गया हुआ हैं। कुछ समय इन्तजार किया गया तथा गोपनीय रूप से मालुमात कराने पर भी चौकी पर ताला लगा होना ज्ञात हुआ। इस पर गांव बाबरा के बाहर पहुँचकर परिवादी से रिश्वत राशि एक पुराने अखबार में लिपटवाकर प्राप्त की गई तथा परिवादी को रूखसत दी जाकर हिदायत दी गई कि वह गांव बाबरा में उपस्थित रहे तथा आरोपी के आने पर तुरन्त सूचित करें। निरीक्षक पुलिस मय ट्रेप पार्टी सदस्यो तथा हमराह उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के प्राईवेट वाहनो से रवाना होकर ब्यावर अजमेर हाईवे पर स्थित होटल एवं रेस्टोंरेंट सरहद पीपलाज पर पहुँचे तथा होटल मे ही ठहरकर इन्तजार किया। परिवादी से जरिये दूरभाष पुनः वार्ता हुई तो उसने कहा कि श्री भागचंद एएसआई दो–तीन छुट्टी लेकर अपने गांव जाना ज्ञात हुआ है। तत्पश्चात् परिवादी को आवश्यक हिदायत कर निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान मय उप अधीक्षक पुलिस मय प्राईवेट वाहनो के रवाना होकर एसीबी कार्यालय अजमेर पहुँची।

दिनांक 02.05.2022 को परिवादी श्री जयशंकर सैन ने जरिये दूरभाष समय 02.00 पीएम पर श्रीमती मीरा बेनीवाल निरीक्षक पुलिस को बताया है कि श्री भागचंद स.उ.नि. अवकाश से आ गया हैं और उसने मुझे फोन किया था एवं पूछा कि कहां पर है तो मैने कहा कि यहीं हूँ। श्री भागचंद एएसआई रिश्वत राशि लेने के लिए कभी भी मेरे से सम्पर्क कर सकता हैं। श्रीमती मीरा बेनीवाल, निरीक्षक पुलिस अन्य गोपनीय राजकार्य में ब्यावर शहर में व्यस्त होने से श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार मन् उप अधीक्षक पुलिस ब्यावर बाईपास पहुँचा, जहां पर श्रीमती मीरा बेनीवाल निरीक्षक पुलिस मय वाहन सरकारी मय श्री गोविन्द सहाय शर्मा कानि0 एवं ट्रेप पार्टी सदस्य श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0 58, श्री युवराज सिंह हैड़ कानि0 120, श्री शिव सिंह कानि0 547, श्री त्रिलोक सिह कानि0 24, श्री रविन्द्र सिंह कानि0 308, श्रीमती रूचि उपाध्याय म0का0 321, श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक मय पाउडरयुक्त रिश्वत राशि मय स्वतन्त्र गवाहान श्री प्रकाश देवनानी कनिष्ठ सहायक एवं श्री जीवन सिंह वरिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिंटर, वॉयस रिकार्डर एवं इस कार्यवाही के दस्तावेज, फर्दो के प्राईवेट वाहन ईनोवा से मौजूद मिले। निरीक्षक पुलिस ने श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पूर्व में हुई कार्यवाही की फर्दे, परिवादी का प्रार्थना पत्र मय रनिंग नोट सुपुर्द कर कार्यवाही का संक्षिप्त हालात से अवगत कराया। परिवादी श्री जयशंकर के मोबाईल पर बात की गई तो परिवादी ने गांव बाबरा से एक किलोमीटर पहले ब्यावर की तरफ मिलने हेतु बताया। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने दोनो गवाहान को अपना परिचय देकर उनका परिचय प्राप्त किया तथा की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति प्राप्त की गई। दोनो गवाहान को पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टांत पढवाकर फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रकिया समझाई गई। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रेप पार्टी सदस्यों मय स्वतन्त्र गवाहान मय ट्रेप बॉक्स, वॉयस रिकार्डर, प्रिंटर, लेपटॉप मय प्राईवेट वाहनो के रवाना होकर ग्राम बाबरा से एक किलोमीटर पहले पहुँचा, जहां पर परिवादी श्री जयशंकर सैन उपस्थित मिला, जिसका दोनो

गवाहान से आपस में परिचय करवाया। श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक से साथ लायी गयी पाउडरयुक्त रिश्वती नोट, जो अखबार में लिपटे हुए है को परिवादी श्री जयशंकर सैन की पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब में कुछ भी शेष नही छोड़ते हुए श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक से रखवाये गये। वक्त लेन–देन होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु डिजिटल वॉयस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को पुनः ऑपरेट करना समझाकर सुपुर्द किया गया तथा परिवादी श्री जयशंकर सैन को रिश्वत देने हेतु स्वयम् की मोटर साईकिल से पुलिस चौकी बाबरा के लिए रवाना किया गया एवं मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के परिवाद के पीछे–पीछे प्राईवेट वाहनो से रवाना हुआ। परिवादी श्री जयशंकर अपनी मोटर साईकिल को चौकी के बाहर खड़ी करके पुलिस चौकी बाबरा में चला गया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के पुलिस चौकी बाबरा के आस–पास अपनी–अपनी उपस्थिति छीपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ।

समय 07.40 पीएम पर परिवादी श्री जयशंकर सैन ने श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0 की और देखते हुए अपने सिर पर हाथ फेर कर रिश्वत राशि प्राप्ति का निर्धारित ईशारा किया, जिस पर हैड़ कानि0 श्री रामचन्द्र ने मन् उप अधीक्षक पुलिस एवं अन्य ट्रेप पार्टी सदस्यो को हाथ से ईशारा किया, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय उपरोक्त गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्य श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0 58, श्री युवराज सिंह हैड़ कानि0 120, श्री शिव सिंह कानि0 547, श्री त्रिलोक सिंह कानि0 24, श्री रविन्द्र सिंह कानि0 308, श्रीमती रूचि उपाध्याय 321 को हमराह लेकर पुलिस चौकी बाबरा में प्रवेश किया तो चौकी के दाहिनी और पश्चिम दिशा में बनी दीवार के पास लगी दो प्लास्टिक की कुर्सी में से एक कुर्सी पर परिवादी जयशंकर सैन व दुसरी कुर्सी पर बनियान व तोलिया लपेटे हुए एक हस्ट पुस्ट व्यक्ति बैठे हुए मिले। परिवादी से वॉयस रिकार्डर प्राप्त किया तथा मन् उप अधीक्षक मय हमराहीयान के उनके पास पहुॅचे तो परिवादी ने सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की और ईशारा कर बताया कि "यही एएसआई भागचंद जी हैं, जिन्होंने मेरे से मेरे मित्र मुकेश रावत के खेत से बजरी भरकर निर्बाध रूप से कारोबार करने देने की एवज में दिनांक 27.04.22 को 40,000 रूपये रिश्वत राशि मांग की थी, जो रिश्वत राशि मैं इनकी मांग अनुसार इनको देने लगा और मैने कहा कि साहब मैं 40,000 रूपये लेकर आया हूॅ तो इन्होंने अपने कक्ष की और हाथ से ईशारा कर अन्दर रखने का ईशारा किया, जिस पर मैने कहा कि अन्दर रख दू क्या तो इन्होने गर्दन हिलाते हुए हां करते हुए हाथ से ताक मे रखने का ईशारा किया। इसके बाद मैं इनके ईशारा अनुसार इनके कक्ष में बनी ताक में जहां इनका बैग रखा हुआ था, उसके नीचे इनके सामने रूपये रखकर बाहर आया तथा ये कुर्सी पर बैठ गये और मुझे कहा कि सिगरेट लेकर आ। मैं चौकी से बाहर आया तथा सिगरेट लेने के दौरान ही श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0 को ईशारा कर दिया और मैं इनके पास आकर कुर्सी पर बैठकर सिगरेट पीने लग गया। इसी दौरान आप लोग आ गये।" इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर इससे इसका परिचय पूछा तो अपना नाम भागचंद पुत्र श्री भंवर लाल जाति ब्राह्मण उम्र 51 साल निवासी गांव सोजत रोड़, बगड़ी रोड़, पुलिस थाना सोजत रोड़ जिला पाली हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस चौकी बाबरा, पुलिस थाना रास, जिला पाली होना बताया। जिसे परिवादी की और ईशारा कर पूछा कि आपने जयशंकर सैन से दिनांक 27.04.22 को इसे बजरी का व्यवसाय निर्बाध रूप से करने देने की एवज में 40,000 रूपये रिश्वत राशि मांग कर आज दिनांक 02.05.22 को अपने कक्ष में रखवाकर प्राप्त की है? इस पर श्री भागचंद सउनि ने बताया कि "मैंने जयशंकर सैन से कोई रिश्वत नही मांगी और ना ही आज इससे कोई रिश्वत ली हैं। जयशंकर सैन बजरी का व्यवसाय करता हैं। यह किसके खेत से बजरी भरवाता है मुझे कोई जानकारी नही हैं। श्री जयशंकर सैन एवं इसके ग्रुप के व्यक्ति तेजपाल सिंह, सिकन्दर, बाबू खां काठात एवं एक मालीयो का लड़का ये सभी मिलकर बजरी का अवैध व्यवसाय करते है। दिनांक 21.04.22 रात्रि को मैने एक डम्पर बजरी का पकडा था, जिसे कोई करण सिह रावत नाम का ड्राईवर चला रहा था, यह डम्पर सिकन्दर खान काठात का था। इसी कारण इसने मुझे झूठा फसाया हैं।" इस पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री भागचंद सउनि को पढने के लिए कहा और कहा कि इसमें

आप द्वारा 40,000 रूपये रिश्वत राशि जल्दी लेकर आने के लिए कहा है और यह भी कहा मैं बजरी के डम्परो के पास में भी नही आउंगा। इस पर जयशंकर ने कहा कि मैं सुबह दे दूंगा तब आपने कहा कि सुबह नही अभी दे दो उसके बाद मैं डम्परो के नजदीक नही आउंगा। इस पर जयशंकर ने कहा कि मैं अभी लेकर आता हूँ और आपको फोन करता हूँ तब आपने कहा कि ठीक हैं। इसके संबंध में आपका क्या कहना है? इस पर श्री भागचंद सउनि ने कहा कि मैंने इससे रिश्वत नहीं मांगी और ऐसी कोई बात नही की। आरोपी श्री भागंचद सउनि ने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांसस्क्रिप्ट नही पढ़ी और वापस लोटा दी। इसके बाद रिश्वत राशि लेन–देन के वक्त रिकार्ड हुई वार्ता, जो कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है को सुना गया तो परिवादी व आरोपी के मध्य वार्ता होना पाया गया। उक्त वार्ता में परिवादी द्वारा कहा जाता है कि साहब मैं वो चालीस हजार रूपये लेकर आया हूँ एवं परिवादी कहता है कि अन्दर रख दूं ! इस पर भी आरोपी द्वारा परिवादी की बात का खण्डन नही किया जाता है और कहता है कि सिगरेट लेकर आ जा। उक्त रिकार्ड वार्ता आरोपी श्री भागचंद सउनि को सुनने के लिए कहा तो कहा कि मुझे नही सुननी हैं। इस प्रकार आरोपी श्री भागचंद सउनि द्वारा परिवादी से 40,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर प्राप्त करना पाया जाने से रूबरू गवाहान आरोपी श्री भागचंद सउनि के शयन कक्ष में प्रवेश कर कक्ष के दाहिनी और बनी ताक जिसमें एक गहरे भूरे रंग का एक हैण्ड बैग रखा हुआ है, को गवाह श्री प्रकाश देवनानी से उठवाया गया तो इसके नीचे 2–2 हजार रूपये एवं 500–500 रूपये के नोट रखे मिले, जिन्हैं गवाह श्री प्रकाश देवनानी के पास रखवाये गये। ट्रेप बॉक्स में से गिलास निकालकर चौकी में रखे पानी के केम्पर में से एक साफ कांच के गिलासो को पुनः साफ करवाकर साफ पानी भरकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर रूई के फोहे को पानी से गिलाकर ताक में रखे अखबार जिसके उपर से रिश्वत राशि बरामद हुई तथा बैग जिसके नीचे रिश्वत राशी रखी हुई थी को रगडकर उक्त घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया। तत्पश्चात दो कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर दो शीशीयो मे आधा–आधा भरकर सील्ड चिट किया जाकर धोवण को मार्क क्रमशः बी–1, बी–2 से चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। रिश्वत राशि जिस बैग के नीचे बरामद हुई उस बैग एवं जिस अखबार के उपर से रिश्वत राशि बरामद हुई उन पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर दोनो को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर सिल्ड किया जाकर मार्क–बी अंकित कर कपड़े की थेली पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् गवाह श्री प्रकाश देवनानी के पास रखवायी गई रिश्वत राशि को दोनो गवाहान को गिनकर पूर्व मे मूर्तिबशुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से मिलान करवाया गया तो दोनो गवाहान ने नोटो को गिनकर 2–2 हजार के 4 नोट एवं 5–5 सौ रूपये के 64 नोट कुल 40,000 रूपये होना बताया एवं नोटो के नम्बरो का मिलान हुबहु होना बताया गया। उक्त नोटो पर कागज की चिट लगाकर चिट पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। घटना स्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार किया गया। आरोपी के शयन कक्ष की खाना तलाशी ली गई तो उक्त कक्ष में एक चारपायी, बिस्तर, एक कुलर, पहने ओढने के कपड़े एवं ताक में बीछे हुए अखबार के नीचे 19500 रूपये रखे होना पाये गये। उक्त राशि संदिग्ध होने से कब्जे एसीबी ली गई। आरोपी श्री भागचंद, सहायक उप निरीक्षक पुलिस को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द तैयार की जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहान, ट्रेप पार्टी सदस्यों, आरोपी श्री भागचंद मय ट्रेप बॉक्स, वॉयस रिकार्डर, लेपटॉप, प्रिंटर मय जब्तशुदा आर्टिकल मय प्राईवेट वाहनो के चौकी बाबरा से रवाना होकर एसीबी चौकी अजमेर पहुँचा तथा जब्तशुदा आर्टिकल को जमा मालखाना करवाया गया। दिनांक 03.05.2022 को समय 10.00 एएम पर परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री जयशंकर सैन एवं आरोपी श्री भागचंद के मध्य लेन–देन के समय रूबरू हुई रिश्वत लेन–देन वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट एवं दो डीवीडी तैयार की जाकर अलग–

अलग कागज के लिफाफे मे रखी गई एवं मूल मैमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थेली मे रखकर सिल्ड चिट किया।

उपरोक्त तथ्यो एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री भागचंद, सहायक उप निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री जयशंकर सैन से उसके दोस्त श्री मुकेश रावत के खेत से डम्पर एवं ट्रेक्टरों में बजरी भरवाने का व्यवसाय निर्बाध रूप करने देने की एवज में 50000 रूपये मासिक बंदी की मांग की तथा दिनांक 27.04.2022 को दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता परिवादी से बजरी का व्यवसाय निर्बाध रूप से करने देने की एवज में 40,000 रूपये रिश्वत राशि प्रति माह लेना तय करना एवं मांग के अनुसरण में दिनांक 02.05.2022 को आरोपी श्री भागचंद सहायक उप निरीक्षक पुलिस, प्रभारी पुलिस चौकी रास, जिला पाली द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 40,000 रूपये अपने कक्ष में रखे बेग के नीचे रखवाकर प्राप्त की जो रिश्वत राशि 40,000 रूपये आरोपी श्री भागचंद, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, के कक्ष में बनी ताक में रखे बेग के नीचे से बरामद की गई। आरोपी के कक्ष में बनी ताक में रखे अखबार के उपर एवं बैग के नीचे, जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई, जहां के धोवण का रंग हल्का गुलाबी आना पाया गया हैं। इस प्रकार आरोपी श्री भागचंद, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, प्रभारी पुलिस चौकी बाबरा, पुलिस थाना रास जिला पाली का उक्त कृत्य जुर्म अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 का कारित करना पाया जाने पर उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कमांकन श्रीमान् महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित है।

(प्रभूलाल कुमावत)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
अजमेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रभुलाल कुमावत, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री भागचन्द, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, प्रभारी पुलिस चौकी बाबरा, पुलिस थाना रास, जिला पाली के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 160/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता करें तफ्तीश जारी है।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 1403-07 दिनांक 3.5.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला पाली।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।